रिशों के आधार पर बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 तथा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार निधि अधिनियम, 1976 अधिनियमित किए गए। इसके अलावा, न्यनतम मजदूरी अधिनिय 1948, कर्मकारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, आदि जैसे बहुत से अन्य श्रम विधान भी इस उद्योग में बीड़ी कर्मकारों पर लागू होते हैं। बीड़ी उद्योग में विभिन्न अधिनियमों के प्रवर्तन की पुनरीक्षा समय-समय पर उन राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है, जो इस उद्योग में कर्मकारों पर लागू विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए समुचित सरकार हैं। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग भी इस उद्योग में कर्मकारों की दशाओं, विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन तथा कानूनों और कल्याणकारी उपायों के प्रवर्तन के लिए मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करेगा, इसलिए कोई अलग समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

इलायची कोला उत्पादन का शुरू किया जाना

1285. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा किए गए संयुक्त अनुसंधानों के आधार पर "इलायची कोला" नामक एक मृदु पेय का उत्पादन किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास के क्षेत्र में भारत को अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूसेड) की सहायता

1286. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने सरकार को देश में आवास समस्या को हल करने के लिए सहायता प्रदान करने संबंधी कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके निबन्धन तथा शर्तें क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने आवासीय गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीकी बाजार से राष्ट्रीय आवास बैंक की ऋण राशि 50 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए निम्न आय आश्रय परियोजनाओं को वित्त व्यवस्था करने की पेशकश की है।

(ख) ऋण राशि सामान्य शर्तों तथा निबन्धनों पर दी गई है जैसी कि समय-समय पर अमरीकी आवास गारंटी कार्यक्रम के लिए लागू हैं।